

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-3/शिकायत)विभाग

221

कमांक: प02(2)(25)का/क-3/शिका/2015

जयपुर, दिनांक 30/5/18

आदेश

डॉ० राजेश मीणा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेर, सवाई माधोपुर को अपराध संख्या 260/2014 में धारा 498ए व 406 भारतीय दंड संहिता में प्रथम दृष्टया लिप्त पाये जाने पर निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जयपुर के आदेश दिनांक 19.03.15 के द्वारा दिनांक 26.01.15 से निलम्बित किया गया था जिसकी पुष्टि विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 11.02.16 के द्वारा की गई थी।

राज्य सरकार डॉ० राजेश मीणा (निलम्बित) को मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में गठित रिव्यू कमेटी की बैठक दिनांक 02.04.2018 की अभिशंभा का सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त कर तत्काल प्रभाव से निलम्बन से बहाल किया जाता है।

डॉ० राजेश मीणा की निलम्बन अवधि का नियमन इनके विरुद्ध न्यायालय में लम्बित प्रकरण के निर्णयानुसार गुणावगुण के आधार पर किया जाएगा।

राज्यपाल महोदय के आदेश से

30

(अवधेश सिंह)

शासन संयुक्त सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान।
2. वरिष्ठ शासन उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
3. निजी सचिव, शासन सचिव, कार्मिक विभाग।
4. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज० जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निलम्बन से बहाल किए जाने वाले अधिकारी का पदस्थापन घटनाक्रम के स्थान से पर्याप्त दूरस्थ स्थान पर करें एवं फील्ड पोस्टिंग नही दी जावे।
5. पुलिस उपायुक्त पूर्व, जयपुर।
6. डॉ० राजेश मीणा, तत्कालीन चिकित्सा अधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बालेर, सवाई माधोपुर द्वारा अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, जयपुर, राज०।
7. कार्मिक(क-3/गो.प्र.)विभाग।
8. वक्ताधिकारी, जयपुर।
9. रक्षित पत्रावली।



(भवानी शंकर)

सहायक शासन सचिव

राजस्थान सरकार

निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, राजस्थान जयपुर।

क्रमांक :- सीबी/सीएस/आर-423/2018/190

दिनांक : 4/7/18

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संयुक्त शासन सचिव, कार्मिक(क-3/शिका)विभाग, राज0 जयपुर को उनके आदेश क्रमांक प.2(2)(25)का/क-3/शि/2015 दिनांक 30.05.18 के क्रम में।
2. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (युप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन--भरतपुर को प्रेषित कर लेख है कि डॉ0 राजेश मीणा, तत्का0 चि0अ0, प्रा0स्वा0केन्द्र, बालेर, जिला सवाईमाधोपुर हाल निलंबित को कार्मिक विभाग का बहाली आदेश दिनांक 30.05.18 तामिल कराकर तामिल रसीद भेजते हुए चिकित्सक को निदेशालय में उपस्थिति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करें।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाईमाधोपुर।
6. कार्यालय अधीक्षक राजपत्रित संस्थापन अनुभाग/डीपीसी/एटीसी, मुख्यालय।
7. डॉ0 राजेश मीणा, तत्का0 चि0अ0, प्रा0स्वा0केन्द्र, बालेर, जिला सवाईमाधोपुर हाल निलंबित द्वारा उनके नियंत्रण अधिकारी।
8. प्रभारी सर्वर रूम मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करवाने का श्रम करें।
9. आदेश/रक्षित पत्रावली।

अति0 निदेशक (राजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर।